फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री हिरालाल पिता रामा बलाई निवासी कुण्डेली पोस्ट सांगावास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

– **अपीलांट**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ

– **रेस्पोण्डेंट**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 42/2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 18.12.2018 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा जरिये पत्रांक प. उपदे/सूचना/2018/167–68 दिनांक 14.12.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी ने बिन्दु संख्या 01 मे ग्राम कुण्डेली की आ0नं0 930 मे रकबा 05 बीघा भूमि रामा/वरदा बलाई के नाम आवंटित भूमि मि0स0 191/76 दिनांक 14.10.76 का नामान्तरण का दाखिला दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी द्वारा ग्राम कुण्डेली की आ0नं0 930 की चौसाला जामबंदी संवत् 2032 से 2075 तक की छाया प्रति निःशुल्क तैयार कर अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है। अपीलार्थी द्वारा ग्राम कुण्डेली की ख0नं0 930 की चौसाला खसरा गिरदावरी की प्रतिलिपि की छाया प्रति तैयार कर निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा ग्राम कुण्डेली मे रामा पिता वरदा के नाम आवंटित भूमि का नामान्तरकरण का दाखिला नहीं होने की स्थिति मे ढालबाछ नहीं बना है। अतः प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी द्वारा ग्राम कुण्डेली मे रामा पिता वरदा के नाम आवंटित भूमि का नामान्तरकरण का दाखिला नहीं हुआ है। जिससे नक्शा ट्रेस मे तरमीम नहीं है। अतः प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, देंवगढ द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन की सूचना जो अभिलेख पर उपलब्ध थी, उसी अनुसार सूचना तैयार कर प्रार्थी/अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये पत्रांक उपदे/सूचना/2018/165–66 दिनांक 11.12.2018 से भिजवाई जा चुकी है।	

कार्यालय जिला कलक्टर

अतः प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा जरिये पत्रांक 165–66 दिनांक 11.12.2018 से उपलब्ध करा देने से अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)